

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **हिन्दुस्तान** - नई दिल्ली, शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023

फैसला | आरसीएस अधिकारी ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों की जमीन हड़पी, न्यायालय ने दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई 'अफसर ही सरकार को नुकसान पहुंचाए तो दुर्भाग्यपूर्ण'



हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में अदालत ने रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव सोसायटी (आरसीएस) के तत्कालीन अधिकारी समेत दो लोगों को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर फर्जी दस्तावेजों से दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी जमीन हड़पने का दोष साबित हुआ है। अदालत ने कहा कि

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी बाहरी लोगों के साथ मिलकर सरकार को ही नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल की अदालत ने आरसीएस कार्यालय में डीलिंग असिस्टेंट मोहिन्दर पाल बजाज और साजिश को अंजाम देने वाले सुभाष चंद को सश्रम कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार जितेन्द्र शर्मा की अगस्त 2021 में मृत्यु के बाद उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी। गीतांजलि ग्रुप हाउसिंग



सोसायटी का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। इस सोसायटी के 62 प्रमोटर थे। लेकिन धीरे-धीरे सोसायटी का कामकाज बंद हो गया। वर्ष 1998 में इस सोसायटी को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2002 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस

सोसायटी को सक्रीय दिखाया गया और डीडीए से जमीन आवंटित कराई गई। सोसायटी के नाम पर करोड़ों की जमीन बहुत कम राशि में ली गई।

दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी किया : अदालत ने इस घोटाले में दोषी पाए गए रजिस्ट्रार कार्यालय के तत्कालीन अधिकारी मोहिन्दर पाल

हाईकोर्ट की सिफारिश पर जांच

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त 2005 को एक सिविल रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की 135 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई ने इन हाउसिंग सोसायटी में करीब चार हजार करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा किया था। इनमें से अधिकांश मामलों में रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी ही शामिल पाए गए थे। इसके अलावा बाहरी लोग भी बड़ी तादात में आपराधिक साजिश में संलिप्त पाए गए।

बजाज को तीन साल की जेल की सजा के साथ उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जबकि दूसरे दोषी सुभाष चंद को भी तीन साल की सश्रम जेल की सजा और 67 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त मुकदमा खर्च की भरपाई के आदेश भी दिए गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NEW DELHI | FRIDAY, 28 APRIL, 2023

'Reserve 1/3rd reclaimed land for dense forest in Delhi'

NEW DELHI: One-third of reclaimed land from dump sites in Delhi should be reserved for dense forest and an equal area must be earmarked for integrated waste management facilities, an NGT panel has recommended.

The solid-waste monitoring committee of the National Green Tribunal, which recently held a review meeting, asked the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Development Authority and the forest department to submit a detailed action plan within a month about proper utilisation of the reclaimed land.

In February, the NGT constituted the committee with Lieutenant Governor VK Saxena as its head. The panel submitted its report on Monday.

The panel has also asked for a web portal to be developed by June 30 to show the daily generation of waste, collection, recycling, processing and disposal at the dump sites.

"The online feed shall also be made available to the Urban Development Department of GNCTD, DPCC and CPCB," the panel recommended.

It was also decided that MCD, NDMC and DCB should carry out a third-party audit of solid waste management, including segregation, collection, transportation, recycling, processing and disposal at dump site through an independent and reputed expert agency, the panel said.

"It was further decided that MCD, NDMC and DCB shall award the work within a fortnight and shall complete the audit by 30 September, 2023," it said. "One-third of land occupied by legacy dump sites (on reclamation) needs to be reserved for dense forest," said the panel.

MPOST

अमर उजाला

नई दिल्ली

शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023

एक तिहाई भूमि वन क्षेत्र के लिए आरक्षित करें : एनजीटी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की एक समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि दिल्ली में कचरा स्थलों से मिली भूमि में से एक तिहाई हिस्से को घने वन क्षेत्र के लिए आरक्षित कर देने चाहिए। साथ ही समिति ने इतने ही क्षेत्र को एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है। अधिकरण की ठोस-अपशिष्ट निगरानी समिति ने हाल ही में की गई समीक्षा बैठक के बाद इस संबंध में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और वन विभाग से एक महीने के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा। फरवरी में, एनजीटी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। एजेसी